रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244832 CG-DL-E-31032023-244832

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1500] No. 1500] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

### रसायन और उर्वरक मंत्रालय

# (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1556(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

2186 GI/2023 (1)

"(2) यह 03 अक्तूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग(2)] दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1643(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का. आ. 4597(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

#### (Department of Chemicals and Petrochemicals)

# **ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

- **S.O. 1556(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. -(1) This order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2023.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of October, 2023."

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), *vide* number S.O. 1643(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4597(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.

### आदेश

- का.आ. 1557(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु-:
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सटूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2023 है।
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- मोल्डिंग और एक्सटूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा
  (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् -:
  - "(2) यह 03 अक्तूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1647(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 4601(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

- **S.O.** 1557(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2023.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for subparagraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of October, 2023".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1647(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4601(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.

#### आदेश

# नई दिल्ली. 31 मार्च. 2023

- का.आ. 1558(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2023 है।
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- 2. पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात -:
  - "(2) यह 03 जुलाई, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1649(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 4603(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

- **S.O. 1558(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of July, 2023."

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1649(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4603(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.

#### आदेश

- का.आ. 1559(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर पारिशयली ऑरिएंटेड यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- 2. पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(2) यह 03 जुलाई, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1650(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 4604(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

### **ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

- **S.O. 1559(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of July, 2023."

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1650(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4604(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.

#### आदेश

- का.आ. 1560(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-:
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- 2. पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् -:
  - "(2) यह 03 जुलाई, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1652(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 4606(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

- **S.O. 1560(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of July, 2023".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1652(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4606(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.

### आदेश

- का.आ. 1561(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) यह 03 जुलाई, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग(2)] दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1653(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 4607(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the 31st March, 2023

- **S.O. 1561(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(2) It shall come into force on the 03<sup>rd</sup> day of July, 2023".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1653(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2022 and subsequently amended *vide* number S.O. 4607(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2022.